

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश
क्रमांक CWALP22092557775/ दिनांक / 21/NOV/2025

प्रति,

(CHANPREET SINGH)-Land Owners- Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey And Sudhir Bhasin, Land Developers Through 6d Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey 544, OPPOSITE GOODWILL APARTMENT, NAPIER TOWN, JABALPUR 482001 Chhindwara, म.प्र.

विषय:- ग्राम-Khapabhat (og) तहसील-Chhindwara Nagar जिला-Chhindwara स्थित खसरा क्रमांक 110/1/1/1/1/1/1/1/2 (S), 110/1/1/1/1/1/3 (S), 110/1/1/1/1/1/4 (S), 110/3 (S) कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर में से 0.7348 हेक्टेयर (7348.00 वर्गमीटर) भूमि पर RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 13/OCT/2025 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम-Khapabhat (og) तहसील-Chhindwara Nagar जिला-Chhindwara स्थित खसरा क्रमांक 110/1/1/1/1/1/1/1/2 (S), 110/1/1/1/1/1/3 (S), 110/1/1/1/1/1/4 (S), 110/3 (S) कुल रकबा 1.006 हेक्टेयर में से 0.7348 हेक्टेयर (7348.00 वर्गमीटर) भूमि जिसका भूमि उपयोग Chhindwara विकास योजना 2035 में “RESIDENTIAL.” निर्दिष्ट है। पर RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है।

उक्त तारतम्य में आवेदक श्री/श्रीमति/मेसर्स (CHANPREET SINGH)-Land Owners- Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey And Sudhir Bhasin, Land Developers Through 6d Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey 544, OPPOSITE GOODWILL APARTMENT, NAPIER TOWN, JABALPUR 482001 Chhindwara, म.प्र. द्वारा विकास हेतु अनुमति बावत् ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। Chhindwara विकास योजना 2035 की कंडिका में RESIDENTIAL भूमि उपयोग में RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास स्वीकार्य गतिविधि है।

प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण दिनांक 10/NOV/2025 को आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाई गई सीमा के अनुसार किया गया है, भूमि तक पहुंच मार्ग अनुमोदित अभिन्यास से 7.50 मीटर उपलब्ध है। अतः RESIDENTIAL भूमि उपयोग में RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार अनुज्ञानिम्न शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा रही है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:

अ. म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 की धारा अन्तर्गत

ब. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956 (क्रं. 23 सन् 1956)

स. नजूल विभाग छिन्दवाड़ा

द. म0प्र0 विद्युत मंडल छिन्दवाड़ा

ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अनुमोदन से कोई आपत्ति नहीं है।

2. आवेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम “Shubh Vastu Solitaire” रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

3. प्रश्नाधीन स्थल को अनुमोदित अभिन्यास से 7.50 मीटर का मार्ग पहुंच हेतु उपलब्ध है तथा मार्ग हेतु छोड़ी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। वर्तमान स्थित या राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो अधिक मार्गाधिकार की उपलब्धता होगी वह भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक कालोनाईजर द्वारा कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998 एवं संशोधित नियम 2021 के नियम 10 अंतर्गत उल्लेखित विकल्प के अनुसार समाज के कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लिये प्रस्तावित भूखण्ड की कुल संख्या के 15 प्रतिशत के बराबर पूर्ण विकसित भूखण्डों एवं उपलब्ध आश्रय शुल्क विकल्प में से आवेदक कालोनाईजर्स द्वारा अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के

Signature valid

Digitally Signed by Vinod
Kumar Paras
Date: 11/22/2025 4:05:09 PM

- अंतर्गत आश्रय शुल्क जमा कराये जाने का विकल्प चयन कर (विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने के स्थान पर आश्रय शुल्क जमा कराने का विकल्प चुना है) मओप्रओ राजपत्र दिनांक 13.01.2022 के अनुसार ऐसी कॉलोनी की दशा में जिसमें की भूखण्डों का विकास किया गया है। भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) के कलेक्टर मार्गदर्शन सिद्धांत के अधीन अवधारित बाजार मूल्य के गुणनफल का 5 प्रतिशत आश्रय शुल्क राशि संबंधित विभाग में जमा कराना आवश्यक होगा।
5. यह अनुमति आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भूसवामी वैधानिक कर्तार्थता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति की शर्तों में उल्लेख है।
6. अनुज्ञा में दर्शित आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित, प्रस्तावित एवं अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जावे। अपूर्ण भूखण्डों का संलग्न अभिन्यास के भूखण्डों के साथ समायोजन किया जावे। अभिन्यास में दर्शित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।
7. यह अभिन्यास म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के प्रावधानान्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) में दर्शित माप स्थिति एवं सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चतुर्सीमा में परिवर्तन होता है तो संशोधित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से विधिवत अधिनियम की धारा 29(3) के अंतर्गत अनुमोदित कराना होगा।
8. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार 01 वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर के मान से स्थल पर विद्यमान वृक्षों की यथा संभव यथावत रखना होगा एवं काटने के पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिसके संबंध में आवेदकगणों द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
9. अभिन्यास में दर्शित मार्ग अधिकार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रेंप अथवा किचन गार्डन मान्य नहीं होगा।
10. सर्वेसैस हेतु इस पत्र के साथ संलग्न अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उसमें विद्युत प्रदाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर हेड टैंक, सम्पबैल, गारबेज डिस्पोजल एवं कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
11. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5000.00/ रसीद क्रमांक 25101319607134906661 दिनांक 13/OCT/2025 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 18375.00 / रसीद क्रमांक 25112136690373214771 दिनांक 21/NOV/2025 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अधधीन है। यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
12. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। उक्त समयावधि में, संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य, प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। समयावधि समाप्त होने के पूर्व यदि विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, आवेदक संस्था द्वारा आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
13. निम्न का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व स्थानीय निकाय का होगा जिसके पश्चात ही कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
- (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व Chhindwara विकास योजना 2035 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।
- (2) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन की दशा में अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या भूमि स्वामित्व विवाद होने पर यह स्वीकृत अनुज्ञा स्वमेव प्रभाव शून्य मानी जावेगी।
14. सीवेज/ठोस अपशिष्ट की ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
15. आपको मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 उल्लेखित आवेदक/स्वामी के उत्तर दायित्व तथा कर्तव्य तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन करना होगा।
16. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसकी पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
17. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि अथवा किसी प्रकार से भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र का विभाजन अथवा विलियन बगैर अनुमति के मान्य नहीं होगा।
18. भूमि स्वामी एवं कालोनाईजर द्वारा प्रस्तुत 6D एग्रीमेंट में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. मओप्रओ भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 अनुसार विद्युत लाईन संबंधी नियम का पालन आवेदक को सुनिश्चित करना होगा। स्थल पर स्थित 11 केव्हीओ विद्युत लाईन के नीचे स्थित भूखण्डों का विक्रय मान्य नहीं होगा एवं विद्युत लाईन को विस्थापित करने के पश्चात ही भूखण्डों का विक्रय मान्य होगा।
20. मओप्रओ भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
21. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत मओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियां यदि आवश्यक होगी तो प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
22. प्रस्तुत कोई दस्तावेजों एवं स्थल मानचित्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों एवं साक्ष्यों में विसंगति होने या पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके इंजीनियर की होगी।

Signature valid

Digitally Signed by Vinod
Kumar Paras
Date: 11/22/2025 4:05:09 PM

23. इस मानचित्र को भूस्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त अनुज्ञा को भूस्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं होगा तथा इस अनुमति का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तक तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आवेदित भूमि का व्यपवर्तन व म0प्र0 नगर पालिक अधिनियम 1956 (क्रं. 23 सन 1956) के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता।
24. विकास हेतु अनुमोदित स्थल मानचित्र अनुसार नियमों में अंतर्गत भवन अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में भवन अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र इस कार्यालय से स्वीकृत करना होगा।
25. समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
26. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 67 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदकों को आवश्यक रूप से करते हुए नियम 88 अनुसार भूकम्परोधी तकनीकी से निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। समस्त प्रावधानों की पूर्ति आवेदक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाकर भवन अनुज्ञा प्रदान की जावेगी।
27. जलमल निकारी, वर्षा के जल की निकासी तथा जलमल संवहन की व्यवस्था नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा के निर्देशन में निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख रेख में की जावेगी।
28. अनुमोदित मानचित्र में विपरीत किये गये विकास कार्य, गलत या असत्य जानकारी, पहुंच मार्ग विवाद उत्पन्न होने की दशा में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भूसीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाये जाने पर या भूखण्ड किसी भवन के खुले क्षेत्रों में पाये जाने पर तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहरित (रिव्होक) कर दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।
- संलग्न : मानचित्र की 01 प्रति

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.

क्रमांक CWALP22092557775/ दिनांक / 21/NOV/2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम Chhindwara इस पत्र के साथ संलग्न कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तह0 व जिला छिन्दवाड़ा को मानचित्र की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित एवं इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. जिला पंजीयक, छिन्दवाड़ा को मानचित्र की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित एवं इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण निवारण निवारण मंडल छिन्दवाड़ा को मानचित्र की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित एवं इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, Chhindwara को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील Chhindwara Nagar (संबंधित वृत्त) जिला Chhindwara की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का लेआउट स्वीकृत को गया है कि टीप अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला छिन्दवाड़ा इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

उप संचालक

Signature valid

Digitally Signed by Vinod
Kumar Parashar
Date: 11/22/2025 4:05:09 PM

नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.

Signature valid

Digitally Signed by Vinod
Kumar Paraske
Date: 11/22/2025 4:05:09 PM



Annexure - 1

Application No.	CWALP22092557775
-----------------	------------------

SCHEDULE OF PLOTS						
Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
1	129.92	8.3 x 15.7	3.0	1.5	0.0	0.0
2	119.49	7.6 x 15.7	3.0	1.5	0.0	0.0
3	164.88	10.6 x 15.8	3.0	1.5	2.5	0.0
4	172.69	9.8 x 18.0	3.0	1.5	2.5	0.0
5	129.61	7.6 x 17.0	3.0	1.5	0.0	0.0
6	127.06	7.6 x 16.6	3.0	1.5	0.0	0.0
7	111.97	9.0 x 12.4	3.0	1.5	0.0	0.0
8	128.26	8.6 x 16.3	3.0	1.5	0.0	0.0
9	173.71	9.0 x 19.1	3.0	2.5	2.5	0.0
10	194.29	9.2 x 21.2	3.0	2.5	2.5	0.0
11	219.84	9.2 x 23.9	3.5	2.5	2.5	0.0
12	241.41	9.3 x 26.4	3.5	2.5	2.5	0.0
13	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
14	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
15	194.27	12.7 x 15.3	3.0	1.5	2.5	0.0
16	128.52	8.6 x 15.3	3.0	1.5	0.0	0.0
17	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
18	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
19	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
20	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
21	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
22	98.60	6.8 x 14.5	3.0	1.5	0.0	0.0
23	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
24	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
25	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
26	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
27	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
28	114.83	7.5 x 15.6	3.0	1.5	0.0	0.0
29	128.37	8.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
30	117.96	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
31	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
32	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
33	116.13	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
34	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
35	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
36	116.12	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
37	117.95	7.6 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
38	128.36	8.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0

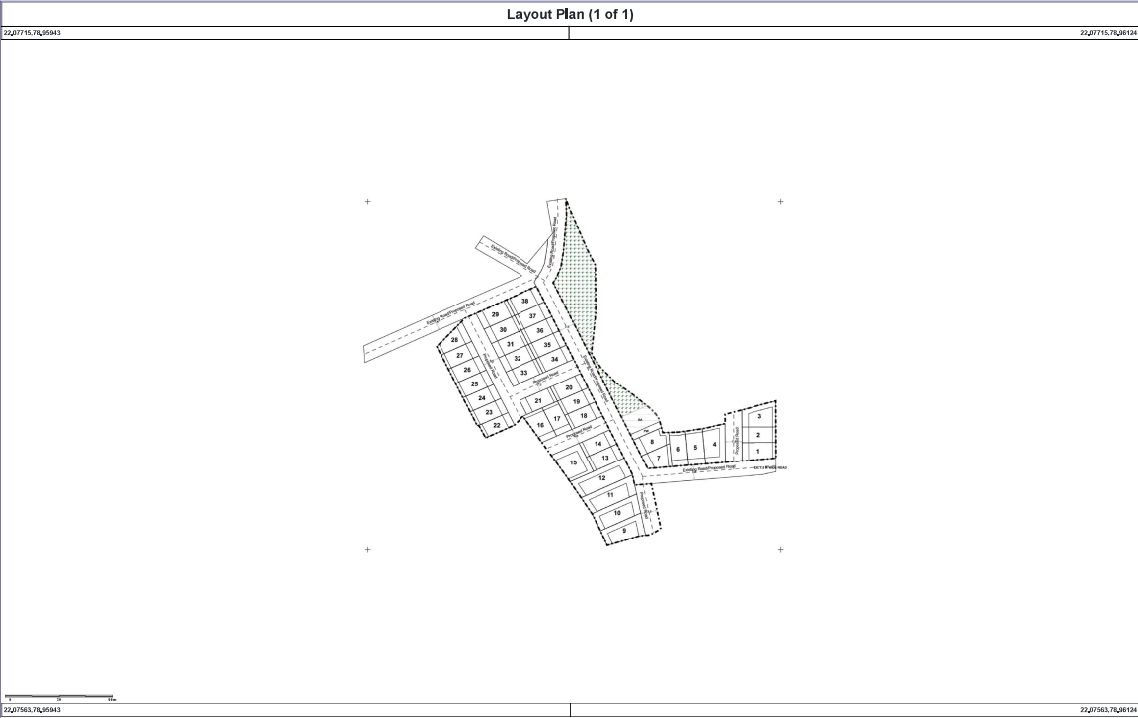
* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant

Signature valid

Digitally Signed by Vinod

Kumar Paraske

Date: 11/22/2025 4:05:09 PM



PROJECT NAME: Shubh Vastu Solitaire
PROPOSED LAYOUT PLAN FOR THE DEVELOPMENT
OF RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING
at Village - Khapabhat (og) , Tehsil - Chhindwara Nagar ,
District - Chhindwara

Area Statement of Plotted Development for RESIDENTIAL PLOT-PLOTTED HOUSING				
S.No.	Description	Area	Unit	%
1	Area Applied for Permission	7348.00	Sqm.	
2	Area Under Road Widening	0.00	Sqm.	
3	Area Under Masterplan Road	0.00	Sqm.	
4	Not Included In Planning Area	0.00	Sqm.	
5	Net Scheme Area	7348.00	Sqm.	
6	Area Under Plots	5032.25	Sqm.	68.485
7	Area Under Convenience Shop	0.0	Sqm.	0.00
8	Informal Sector	0.0	Sqm.	0.00
9	Community Open Space	913.58	Sqm.	12.433
10	Service Area	136.2	Sqm.	1.854
11	Area Under Road Circulation	1222.40	Sqm.	16.636
12	Pathway	43.57	Sqm.	0.593

Area Statement for Informal Sector		
S.No.	Description	Unit
1	Total No. of Saleable Residential Plots/DUs	Shelter Fee Nos
2	Req EWS & LG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/D.U	Shelter Fee Nos
3	Req EWS Units/Plots As Per 60% of Above sno.2	Shelter Fee Nos
4	Req LG Units/Plots AS Per 40% of above sno.2	Shelter Fee Nos
5	Proposed EWS & LG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/D.U	Shelter Fee Nos
6	Proposed EWS Units/Plots As Per 60% of Above sno.5	Shelter Fee Nos
7	Proposed LG Units/Plots As Per 40% of above sno.5	Shelter Fee Nos
8	Min Area of EWS Plot/Unit	0 Nos
9	Min Area of LG Plot/Unit	0 Nos

Details of Ownership		
S.no.	Khasra/Nazul Plot No.	Total Area (Ha.)
1	110/3 (S), 110/10/10/10/10/4 (S), 110/10/10/10/10/3 (S), 110/10/10/10/10/2 (S) (Tehsil-Chhindwara Nagar, Village-Khapabhat (og))	1.006



Application Number - CWALP22092557775
Please refer Annexure-1 for details of individual plots

Khasra/Nazul Plot Plan		Location Plan		Legend: Area Applied Road Widening Plot Area Community Open Space Service Area Abbreviation: PW - Pathway SA - Service Area	
Authorised Signatory	Project	Client/Owner		Consultant / Architect	Date
Shubh Vastu Solitaire	(CHANPREET SINGH)-Land Owners- Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey And Sudhir Bhasin, Land Developers Through 8d Shubh Vastu Realities Through Shri Akhil Grover, Nikhil Grover, Chanpreet Singh, Sudhir Pandey			ANUBHAV PAUL	22/SEP/2025